समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन नo 0612–2219545 (काo)
फैक्स नo–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

–: आदेश :–

04-10-2013

आवेदक **श्री नीलम चंदन,** पिता–स्वo प्रेम कुमार, साo–सादिकपुर, पोo–गुलजारबाग, थाना–आलमगंज, जिला–पटना से प्राप्त एक एनoपीoबोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–270/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–04.10.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनका Bar & Restauant है। उनका Mineral Water का भी व्यवसाय हैं। उनके पिता की हत्या 09 मई 2012 में अपराधियों द्वारा कर दी गयी थी। उनके पिता के नाम पूर्व से एक एनoपीoबोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति संo–3076/2002 प्राप्त है, जो पिता के मृत्योपरान्त मेसर्स सिटी फायर आर्म्स दूकान में जमा है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1291/गोo, दिनांक–09.09.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी द्वारा थानाध्यक्ष, आलमगंज के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, आलमगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक Liquor और Mineral Plant का कार्य करते हैं। आवेदक के पिता को पूर्व से एक एनoपीoबोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति संo–3076/2002 प्राप्त है, जो उनके पिता के मृत्योपरान्त मेसर्स सिटी फायर आर्म्स दूकान में जमा है। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

आवेदक के आवेदन पत्र पर अंतिम निर्णय हेतु लंबित रहने के कारण शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु पटना उच्च न्यायालय, पटना में अपील याचिका दायर किया गया, जिसमें सीoडब्लूoजेoसीo संo–6278/2013 नीलम चंदन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य

में न्यायालय द्वारा दिनांक–01.05.2013 को आदेश पारित किया गया, जिसमें आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर दो माह के अंदर पुनर्विचार हेतु निदेश दिया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री नीलम चंदन, पिता–स्व0 प्रेम कुमार, सा0–सादिकपुर, पो0–गुलजारबाग, थाना–आलमगंज, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री चन्दन को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।